सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 110/16 निर्णय दिनांकः– 26-3-18

1. जगदीश पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी चक 4 डीओबी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रज्जीराम उर्फ राजाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01–09–2016 एवं संशोधन आदेश दिनांक 20–09–2016 व 29–09–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

2. अपील संख्या 197/17

1. जगदीश पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी चक 4 डीओबी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।
2. रज्जीराम उर्फ राजाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 01–09–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 01–09–2016 एवं संशोधन आदेश दिनांक 20–09–2016 व 29–09–2016 के विरूद्व जिसके द्वारा आवंटन प्रक्रिया व वरियता नियमों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विशेष आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निर्णय किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक–एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने वादगत् भूमि चक 4 डीओ(बी) के मुरब्बा नम्बर 206/56 के किला नम्बर 6, 7, 11 ता 14, 15 में 0.17, 16 में 0.04, 17 में 0.18, 18 ता 22, 23 में 0.19, 24 में 0.05, एवं 25 में 0.12 की 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में नियमानुसार आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि पर प्रथम वरियता मानकर आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। जो आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नियमों व वरियता नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या ग्राम भानसर का पुश्तैनी निवासी नहीं है, जो उसके स्वयं के दस्तावेजात् से साबित है। इसके साथ ही रेस्पोडेन्ट के नाम से इसी चक में 8.14 बीघा कमाण्ड एवं पत्नी के नाम से 7 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है तथा ग्राम भानसर में 34 बीघा बारानी भूमि स्थित है तथा वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि हो जाती है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादगत् भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट् सन् 1991 से ग्राम भानसर का निवासी है तथा वादगत् भूमि के मुरब्बा नम्बर 206/56 में अपीलांट के नाम किला नम्बर 4 व 5 तादादी 2 बीघा भूमि अपनी अन्य समीपवर्ती 12 बीघा भूमि के साथ स्थित है। जिसमें अपीलांट आबाद होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट के धारण में 14 बीघा 1 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि है जो 7 बीघा कमाण्ड के बराबर होती है। इस प्रकार अपीलांट सिलिंग सीमा से कम भूमि धारक होने के कारण वादगत् भूमि को प्रथम वरियता से प्राप्त करने का अधिकारी था व है।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीढे आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त रकबे के आवंटन की अपीलांट की प्रथम वरीयता बनती थी। आवंटन नियमों में जिसकी प्रथम वरीयता बनती हो उसे ही आवंटन किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्व होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट व अपीलांट के प्रार्थना पत्रों पर तुलनात्मक विशलेषण करते हुए पाया कि उक्त रकबे पर आवेदन राजाराम व जगदीश के आवेदन है। राजाराम का मूल निवासी ग्राम भानसर है जबकि जगदीश का मूल निवासी ग्राम छापावाली है। जिसकी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर है। राजाराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी की है। राजाराम के आवेदन के साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज मूल निवासी प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट आदि प्रस्तुत कर सभी औपचारिकाएँ पूर्ण करने पर रेस्पोडेन्ट की सर्वोच्य प्राथमिकता मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से प्रथम श्रेणी के आवेदक के आधार पर नियमानुसार वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस प्रकार आवंटन की तमाम औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट का यह कथन की वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर तुलनात्मक विवरण तैयार करने के उपरान्त ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र का प्रश्न है, अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को विकल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन प्रस्तावित भूमि चक 4 डीओ(बी) के मुरब्बा नम्बर 206/56 के किला नम्बर 6, 7, 11 ता 14, 15 में 0.17, 16 में 0.04, 17 में 0.18, 18 ता 22, 23 में 0.19, 24 में 0.05, एवं 25 में 0.12 की 15 बीघा अनकमाण्ड बीघा अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(2) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर कोई गौर किये बिना व अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम आवश्यक दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस, सूचना व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट के धारण में रही भूमि का सही तुलनात्मक विवरण तैयार नहीं किया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट के धारण में पूर्व में ही इसी चक में 8.14 बीघा कमाण्ड एवं पत्नी के नाम से 7 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है तथा ग्राम भानसर में 34 बीघा बारानी भूमि स्थित है तथा वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि हो जाती है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है।

(4) हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो संबंधित तहसीलदार से अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि के संबंध में कोई रिपोर्ट ली गई ना ही अपीलांट जिसका वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 से जैरकार था, पर अपना कोई निर्णय अंकित किया गया। केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना व अयुक्तियुक्त आवंटन है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(5) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट/ रेस्पोडेन्ट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता। तत्पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, सबूतों की जॉच करते हुए उनके धारण में निहित भूमि का तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए प्राथमिकता/वरियता निर्धारित की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के समक्ष तत्समय ही सही स्थिति उभर कर सामने आ जाती व उसी अनुरूप वादगत् भूमि का आवंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से अतार्किक, अयुक्तियुक्त व राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में दी गई प्रक्रियाओं के विपरीत पारित किया गया आवंटन आदेश है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ दिनांक 01—09—2016 एवं संशोधन आदेश दिनांक 20—09—2016 एवं 29—09—2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26-3-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर